

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

आसीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएस)

दायर दिनांक:- 29.07.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00752

उनवान

गोविन्द पुत्र सम्पत बगै0 जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—सायलान—06

बनाम

विजेन्द्र पुत्र देवीसिंह बगै0 जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—गैरसायलान—06

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 26.08.2016 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः नुकदमा न0 99/16 गोविन्द बनाम विजेन्द्र आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अन्तर्गत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली